

10.01.2016
-Narm-
B

अंचल अधिकारी मिर्जापुर का कार्यालय

अभिलेख वार संख्या- 543/2016-17

वार का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-ग्या०म०गिति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निदेश निदेश के अनुपालन में गैरमरुआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रातवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- रैगा राधि , थाना- मिर्जापुर, खाता संख्या- 10 , प्लॉट संख्या-
संख्या 2.0001 एकड़ की भूमि जो गैरमरुआ खास अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या-..... के पृष्ठ संख्या-240/18 पर जमाबंदी रैयत गोकुलधारा के नाम से कायम है।
शेयर

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि को विरुद्ध कायम जामबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रातवेदन से प्रतात होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लगन एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतः संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू खातों से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की माग करे तथा उनको कारण-पृच्छा करे कि क्यों नहीं जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक-..... को उपस्थापित करें।

लेखापति एवं सहायक
अंचल अधिकारी

.....
10.07.16
अंचल अधिकारी
मिर्जापुर

संश्लेषण जमाबंदी 2020 अभिलेख 28-543/2018-19

तिथि

पदाधिकारी आदेश

अभिलेख

5/12/20

अभिलेख उपस्थापित।

उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या-1704/रा0 दिनांक-15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक-22/12/20 को उपस्थापित करें।



अंचल अधिकारी,
निरसा।

02/12/20

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में केवाला दलील, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित बन्दोबस्ती पर्चा, हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद, फॉर्म-एम0, लगान-रसीद, दिनांक 01.01.1946 के पूर्व का निबंधित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित किया गया है/नहीं किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक-लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक-29/1/21 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
निरसा।

29/1/21

अभिलेख उपस्थापित।

संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमाबंदी नियमितीकरण/रद्द करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का


अवैध ज

एवं अचल का नाम
(क) अवैध जमाबंदीदार का नाम
(ख) अवैध जमाबंदी में भूमि

मौजा	खाना नं०	खाना नं०
	1	2

मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-
.....~~राजपुरा~~....., मौजा नं०-.....~~85~~....., साबिक खाता सं०-.....~~10~~....., साबिक
प्लॉट सं०-....., रकवा-.....~~2.40.50~~ जिसका हाल खाता सं०-.....
हाल प्लॉट सं०-....., रकवा-..... गत् सर्वे
खतियान एवं हाल सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद (अनाबाद
बिहार/झारखण्ड सरकार) खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत/वंशज के द्वारा
दिनांक-01.01.1946 के पूर्व का कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया
गया। जमाबंदी रैयत/वंशज का उक्त भूमि पर वर्ष 1985 के पूर्व से दखलकार
नहीं है। उक्त जमाबंदी को नियमितीकरण नहीं की जा सकती है। इस संबंध में
तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा पूर्व
में उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। पुनः संबंधित राजस्व
उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अवैध जमाबंदीदार.....~~राजपुरा~~.....के
.....के नाम से पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-.....~~18~~.....को रद्द करने की
अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा
के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(h) के
तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-.....~~18~~.....को रद्द करने हेतु अनुशंसा
के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर
समाहर्ता, धनबाद को भेजें।


29/01/21
अंचल अधिकारी,
निरसा।